

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- ब्रह्मलाल जाट (आर०ए०एस०)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर
अपील नम्बर :- 08/2023
आरसीएमएस नम्बर :- 2023/39

उनवान प्रकरण

सुरेन्द्र पुत्र प्रहलाद उम्र करीब 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी बागथर तहसील
बसेडी जिला धौलपुर राज०

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी जिला धौलपुर

.....रेस्पोजेण्ट



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.12.2022
मु०नं० 12/2022 सरकार बनाम सुरेन्द्र
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
तहसीलदार बसेडी

उपस्थिति :-

अपीलान्ट की ओर से
रेस्पोजेण्ट की ओर से

:- श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
:- श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 07.03.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 507 रकवा 0.50 हैक्टेयर बाके ग्राम करीलपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर राज० में अवैध अतिक्रमण कर सरसों की काश्त कर कब्जा किया है अतः प्रकरण में अपीलान्ट को अतिचारी मानते हुये विवादित आराजी से बेदखल किये जाने तथा भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट कर तथा लगान की 50 गुना शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है । अपीलाधीन आदेश तहसीलदार बसेडी तारीखी 23.12.2022 व खिलाफ कायदे कानून वरुयेदाद मिसिल के है , अधीनस्थ अधिकारी तहसीलदार बसेडी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्टस् को किसी प्रकार

6m



(2)

न्यायाति.जिला कलक्टर घौ
वमुक: सुरेन्द्र बनाम सरकार
अपील संख्या 08/2023

सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है इसी बिनाय पर अपीलाधीन आदेश काबिल खारिजी के है ,तहसीलदार बसेडी द्वारा तहत् आदेश पारित करते समय समस्त विधिक प्रावधानों को ताक पर रख कर महज हल्का पटवारी के कथनों पर विश्वास करते हुये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये महज अपीलान्ट को नुकसान पहुँचाने की नीयत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कानून की निगाह में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा इसी बिनाय पर अपीलाधीन आदेश काबिल खारिजी है , तहसीलदार बसेडी द्वारा तहत् आदेश पारित करते समय किसी प्रकार विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना राठौरी रवैया अख्तैयार कर तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत हाने के कारण काबिल खारिजी के है , अपीलाधीन आदेश का ज्ञान अपीलान्ट को दिनांक 11.01.2023 को पटवारी हल्का द्वारा अवगत कराने पर हुआ तब अपीलान्ट ने तहसील बसेडी आकर अपीलाधीन आदेश की जानकारी कर नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 11.01.2023 को उसी दिन प्राप्त हुई अतः अपीलान्ट रूपये पैसों का इन्तजाम कर ज्ञान से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत कर रहा है जिससे अपील स्वीकार किये जानपे योग्य है यद्यपि ऐसे शून्य आदेशों पर म्याद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं मय शपथ पत्र से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2022 न्यायालय तहसीलदार बसेडी मंसूख फरमाया जावे ।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोजेण्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 507 रकवा 0.50 हैक्टेयर बाके ग्राम करीलपुरा तहसील बसेडी जिला घौलपुर में अवैध अतिक्रमण कर सरसों की काश्त कर कब्जा किया है अतः प्रकरण में अपीलान्ट को अतिक्रमण मानते हुये विवादित आराजी से बेदखल किये जाने तथा भूमि पर खड़ी फसल को नष्ट कर तथा लगान की 50 गुना शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है। तहसीलदार बसेडी द्वारा तहत् आदेश पारित करते समय किसी प्रकार विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है और अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना राठौरी रवैया अख्तैयार कर तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत हाने के कारण काबिल खारिजी के है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

(Signature)



(3)

न्यायाधीश जिला कलक्टर धौलपुर
दफ्तर: सुप्रीम बनाम सरकार
अपील संख्या 08/2023


रेस्पॉण्डेंट के विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्त ने विवादित आराजी में सम्वत 2079 फसल रबी में खसरा नम्बर 507 रकबा 0.50 हेक्टेयर किरम जमीन नहरी दायम पर सरसों बोकर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा की गयी अतिक्रमण की रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाये।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्त ने विवादित आराजी पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23.12.2022 से अतिक्रमी को वेदखल कर लगान का 50 गुना शास्ति करते हुये खडी फसल को कब्जे राज लेकर नष्ट करवाकर भौतिक रूप से वेदखल करने के आदेश दिये गये। उक्त निर्णय दिनांक 23.12.2022 में राजस्व हानि को देखते हुये दिनांक 02.02.2023 को रिव्यू कर खडी फसल को नीलाम करने के आदेश दिये गये। जबकि अपील में हुये खडी फसल को कब्जे राज लेकर नष्ट करवाकर भौतिक रूप से वेदखल करने के आदेश के विरुद्ध अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है। चूंकि उक्त आदेश रिव्यू हो चुका है। अतः अपील इन्फ्रक्च्युअस होने से हम आक्षेपित अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्त की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(ब्रह्मलाल जाट)
अति० जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)